

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.4(1)पपा/2017

जयपुर, दिनांक :- 14 MAR 2018

—: आदेश :—

राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अपरान्ह से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	डॉ० सुरेन्द्र सिंह भांभू	उप निदेशक	30.04.1958	29.04.2018	30.04.2018
2.	डॉ० दिलीप सिंह	संयुक्त निदेशक	16.05.1958	15.05.2018	31.05.2018
3.	डॉ० गिर्राज प्रसाद गुप्ता	संयुक्त निदेशक	02.05.1958	01.05.2018	31.05.2018
4.	डॉ० राजकुमार मिद्ढा	संयुक्त निदेशक	25.06.1958	24.06.2018	30.06.2018
5.	डॉ० राजेन्द्र कुमार शर्मा	उप निदेशक	25.06.1958	24.06.2018	30.06.2018
6.	डॉ० सुशील कुमार रस्तोगी	अतिरिक्त निदेशक	18.06.1958	17.06.2018	30.06.2018
7.	डॉ० श्याम सुन्दर चन्दावत	संयुक्त निदेशक	26.06.1958	25.06.2018	30.06.2018
8.	डॉ० युगभूषण वधवा	संयुक्त निदेशक	15.06.1958	14.06.2018	30.06.2018
9.	डॉ० जगदीश सिंह	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	01.07.1958	30.06.2018	30.06.2018
10.	डॉ० रामावतार चौहान	उप निदेशक	01.07.1958	30.06.2018	30.06.2018
11.	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	01.07.1958	30.06.2018	30.06.2018
12.	डॉ० निरंजन लाल मीणा	संयुक्त निदेशक	14.07.1958	13.07.2018	31.07.2018
13.	डॉ० समसाम अली खान	उप निदेशक	01.08.1958	31.07.2018	31.07.2018
14.	डॉ० भगवान सहाय	संयुक्त निदेशक	05.08.1958	04.08.2018	31.08.2018
15.	डॉ० किरणपाल सिंह	उप निदेशक	15.08.1958	14.08.2018	31.08.2018
16.	डॉ० हरि सिंह बारैठ	संयुक्त निदेशक	12.09.1958	11.09.2018	30.09.2018
17.	डॉ० रामनिवास यादव	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	21.10.1958	20.10.2018	31.10.2018
18.	डॉ० महेन्द्र सिंह	उप निदेशक	08.11.1958	07.11.2018	30.11.2018
19.	डॉ० नत्थुराम छाबड़ा	उप निदेशक	18.11.1958	17.11.2018	30.11.2018
20.	डॉ० अश्वनी कुमार रावत	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	25.11.1958	24.11.2018	30.11.2018
21.	डॉ० जगजीवन राम बैरवा	संयुक्त निदेशक	21.11.1958	20.11.2018	30.11.2018
22.	डॉ० पृथ्वीराज सुमन	उप निदेशक	01.01.1959	31.12.2018	31.12.2018
23.	डॉ० राज सिंह राठौड़	उप निदेशक	25.12.1958	24.12.2018	31.12.2018
24.	डॉ० बट्टीप्रसाद यादव	उप निदेशक	15.01.1959	14.01.2019	31.01.2019
25.	डॉ० रमेश कुमार गुप्ता	उप निदेशक	15.01.1959	14.01.2019	31.01.2019
26.	डॉ० नरदेव सिंह	उप निदेशक	15.01.1959	14.01.2019	31.01.2019
27.	डॉ० फरसा राम	उप निदेशक	08.02.1959	07.02.2019	28.02.2019
28.	डॉ० जगदीश नारायण बैरवा	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	04.02.1959	03.02.2019	28.02.2019

29.	डॉ० अजय कुमार गुप्ता	निदेशक	15.02.1959	14.02.2019	28.02.2019
30.	डॉ० बालकिशन बैरवा	संयुक्त निदेशक	17.02.1959	16.02.2019	28.02.2019
31.	डॉ० कैलाश चन्द मीणा	उप निदेशक	11.02.1959	10.02.2019	28.02.2019
32.	डॉ० कमल किशोर मीणा	उप निदेशक	15.03.1959	14.03.2019	31.03.2019
33.	डॉ० शिव कुमार शर्मा	अतिरिक्त निदेशक	08.03.1959	07.03.2019	31.03.2019

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूची क्र.सं.7 पर डॉ० श्याम सुन्दर चन्दावत एवं क्र.सं.27 पर डॉ० फरसा राम के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है। क्र.सं.11 पर अंकित डॉ० राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वर्तमान में निलम्बित हैं तथा डॉ० शर्मा के विरुद्ध अपराध संख्या 42/2015 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। क्र.सं.12 पर अंकित डॉ० निरंजन लाल मीणा वर्तमान में निलम्बित हैं तथा डॉ० मीणा के विरुद्ध अपराध सं.541/2012 माननीय न्यायालय भ्र0नि0अधि0 में तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक प्रकरण सी.सी.ए. नियम 16 में कार्मिक विभाग में विचाराधीन है, शेष अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल के आदेश से,

(सुरेश दुर्गानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निदेशक, पेन्शन/राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा। निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
4. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक: एफ.वी.5(1)(नि0)स्था/अ/प्रशि/2018/ 1373-1450 जयपुर, दिनांक:- 15/3/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग,
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
3. संबंधित उप निदेशक, पशुपालन विभाग,
4. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रण अधिकारी
5. प्रभारी, पैशन/गोपनीय/जांच अनुभाग निदेशालय जयपुर
6. निजी/रक्षित पंजिका

(आई.टी.)